TEN RUPEE TWO TWO ONE RUPEE

C-R/D/157

न्यायालयः- श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. ------निगरानी
2008

1666 - PBR/08

1- मातादीन पुत्र तेजसिंह

2- दर्शनलाल पुत्रतेजसिंह

दोनों जाति नाई निवासीगण हरफूल का पुरा मौजा हिंगौनाखुर्द परगना वजिला मुरैना।म.प्र.। --- आवेदकगण

बनाम

1- निग्मो पत्नी पुन्ना जाति नाई निवासी हरफूल का पुरा मौजा हिंगौनाखुर्द परगना व जिला मुरैना।म.प्र.।

2- रामजीलाल पुत्र पुन्ना जाति नाई निवासी हरफूल का पुरा हाल निवासी महावीरपुरा मुरैना।म.प्र.।

--- अनावेदकगणं

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 6-11-2008 न्यायालय श्रीमान अपर-आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 168/2007-08अपील निगरानी अन्तगत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नप्रकार प्रस्तुत है -

1- यह कि ग्राम देवरी परगना वजिला मुरैना में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1235/2 रकवा 4 बीघा जिसके अभिलिखित भूमि स्वामी अनावेदक क्रमांक-1 के पति व अनावेदक क्रमांक-2 के पिता पुन्ना पुत्र मुरली थे।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.1666/पीबीआर/2008 जिला- मुरैना

मातादीन विरूद्ध निग्मो

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	आवेदक अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। अनावेदक ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि इस प्रकरण से संबंधित व्यवहार वाद में दिनांक 30 अप्रैल 2004 को आदेश पारित हो गया है, इसके उपरांत दिनांक 27.10.2004 को तृतीय अपर जिला न्यायधीश मुरैना से अपील में आदेश पारित कर दिया गया है। इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय से भी प्रकरणमें अंतिम आदेश पारित कर निराकरण किया जा चुका है । अत: इस निगरानी के संचालन का औचित्य शेष नहीं रहा गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में पूर्व से अनावेदक अभिभाषक ने व्यवहार न्यायालय सहित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की फोटो प्रति आवेदन के साथ संलग्न की थी, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस निगरानी में जिस भूमि एवं पक्षकारों के मद विवाद था उसी से संबंधित वाद में व्यवहार न्यायालय से एवं माननीय उच्च न्यायालय से आदेश पारित किये जा चुके हैं । व्यवहार न्यायालय एवं मान. उच्च् न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होते हैं । अत: ऐसी स्थिति में अब इस न्यायालय में प्रकरण को प्रचलित रखना उचित नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	